[भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II , खंड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 22.06.2018

सं. 56/2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 581 (अ)- उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (ढ) तथा (प) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 156 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होने पर की ऐसा करना लोक हित में अपेक्षित है, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा सा. का. नि. संख्या 331 (अ), 08 मई, 2007 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 03, उपखण्ड (i) में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या 47/2007 – सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 8 मई, 2007 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित माल) प्रवर्तन नियमावली, 2007 में संशोधन करने हेतु ऐसे संशोधन से पूर्व किए गए अथवा करने से छोड़े गए कार्य के अलावा, निम्नलिखित संशोधन करती है, नामश:-

1(i) इन नियमों को बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित माल) प्रवर्तन नियमावली, 2018 कहा जाए।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. उपर्युक्त नियमावली में, -

(क) नियम 2 में, -

(i) खण्ड (ख) में "पेटेंट अधिनियम, 1970 में पेटेंट के रूप में पारिभाषित," शब्द तथा अंक विलोपित कर दिए जाएंगे;

(ii) खण्ड (ग) में "पेटेंट अधिनियम, 1970" शब्द तथा अंक विलोपित कर दिए जाएंगे;

(ख) नियम 5 में, शर्त (ख) के बाद, निम्नलिखित शर्तें अन्त:स्थापित की जाएंगी, नामश: :- .

"(ग) अधिकार धारक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, बौद्धिक संपदा कानूनों अथवा किसी न्यायालय अथवा अपीलीय बोर्ड के अंतर्गत, प्राधिकारियों द्वारा बौद्धिक संपदा कानून के अंतर्गत पंजीयन होने के उपरान्त बौद्धिक संपदा अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन करने, उसे रद्द किए जाने, उसके निलंबन अथवा उसे वापस लिए जाने का नोटिस देते समय सीमाशुल्क आयुक्त को उसकी सूचना देगा तथा नियम 4 के अंतर्गत पंजीकरण की नोटिस की वैधता के दौरान बौद्धिक संपदा कानून में इस प्रकार किए गए किसी संशोधन, रद्द किए जाने, उसके निलंबन अथवा उसे वापस लिए जाने को, उसकी सूचना की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर अधिकार धारक अथवा इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा इसे सीमाशुल्क आयुक्त के ध्यान में लाया जाएगा;

(घ) बौद्धिक संपदा कानून के तहत प्राधिकारियों अथवा किसी न्यायालय अथवा अपीलीय बोर्ड द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार में किसी प्रकार के संशोधन, उसके रद्द किए जाने, उसके निलंबन अथवा उसे वापस लिए जाने के मामले में, सीमाशुल्क आयुक्त, तद्नुसार नोटिस में संशोधन, नोटिस का निलंबन अथवा नोटिस को रद्द कर सकता है तथा नोटिस का तद्नुरूपी संरक्षण भी रद्द कर सकता है।"

[फा.सं. 394/04/2018- सीमाशुल्क (ए एस)]

रोहित 22.06.18

(रोहित आनंद)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- अधिसूचना संख्या 47/2007 – सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 8 मई, 2007, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्या 331 (अ), दिनांक 8 मई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।